न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, मुंगेर।

भरण पोषण (क्रिमनल) वाद संख्या 60/2025

रेहाना प्रवीण.....आवेदिका।

बनाम

मो0 हसनवी.....विपक्षी।

आदेश

दिनांक 04.04.2026 उभय पक्ष की हाजिरी है।

वाद की पुकार की गई। पुकार पर उभय पक्ष एवं उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए।

उभय पक्ष के बीच समाधान की कार्यवाही की गई। समाधान पूर्णतः सफल रहा। समाधान के क्रम में उभय पक्षों ने अपना बयान दर्ज कराया है जिसमें आवेदिका ने कहा है कि वह और उसका बच्चा दोनों विपक्षी के साथ उनके घर जाने के लिए तैयार है। उसके पति विपक्षी ने उसे आश्वासन दिया है कि वह उसे एवं उसके बच्चे को सम्मान के साथ रखेगा एवं भरण पोषण करेगा। इसके साथ ही वह अपने पत्नी धर्म का पूर्णतः पालन करेगी एवं सुलह के आधार पर इस केस को समाप्त कर देने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। विपक्षी द्वारा भी कहा गया है कि वह अपनी पत्नी आवेदिका एवं बच्चे को रखने के लिए तैयार है। वह अपनी पत्नी एवं बच्चे को सम्मानपूर्वक रखेगा तथा उनकी जरूरतों का ख्याल रखेगा। सुलह के आधार पर इस केस को समाप्त कर दिए जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। उभय पक्ष अब इस वाद को आगे नहीं चलाना चाहते क्योंकि इस वाद को चलाने का अब कोई औचित्य नहीं बचा है। उभय पक्ष ने अपने कथन के समर्थन में अपना अपना बयान दर्ज कराया।

वाद का अवलोकन किया, अवलोकनोपरांत यह विदित होता है कि यह केस बी.एन.एस.एस. धारा 144(i) के अन्तर्गत आवेदिका पत्नी के द्वारा अपने

पति विपक्षी से भरण पोषण प्राप्त करने हेतु दाखिल किया गया है।

उभय पक्ष साथ रह रहे हैं एवं ससम्मान बिना किसी दबाव के इस वाद में समाधान के आधार पर कार्यवाही को समाप्त करना चाहते हैं।

ऐसी परिस्थिति में इस वाद को चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः वाद को समाधान की सफल कार्यवाही के आधार पर निस्तारित किया जाता है।

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय, मुंगेर।

Date of Judgment/order	04-04-2026
Date of Reserving Judgment/order	04-04-2026
Uploading Date	07-04-2026
Uploaded by	Dhananjay Kumar (D.E.O.)